सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/91 दर्ज तिथिः–03.03.2025

1. श्रीमती दरिया पुत्री विशना पत्नी बाबुराम
   जाति भील निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी हाल खिरूड़ी तहसील चितलवाना।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सुगरी पुत्री विशना पत्नी मोती जाति भील निवासी टुंकिया तहसील सिणधरी।
2. श्रीमती जवी पुत्री विशना पत्नी सागरा जाति भील निवासी बीजलिया तहसील बागोड़ा।
3. श्रीमती सांईया पुत्री विशना पत्नी मलाराम जाति भील निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी बागोड़ा तहसील भीनमाल।
4. श्रीमती मोहन पुत्री विशना पत्नी काना जाति भील निवासी टुंकिया तहसील सिणधरी।
5. नरसा पुत्र खाना
6. रूघा पुत्र खाना
7. भगा पुत्र खाना
8. अजा पुत्र चैना
9. बिजला पुत्र चैना
10. पैलाद पुत्र चैना
    जाति भील निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
11. ढफीदेवी पत्नी पांचाराम जाति भील निवासी लक्ष्मीनगर भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
12. नरसींगाराम पुत्र भगवानाराम
13. प्रवीण कुमार पुत्र भगवानाराम
    जाति भील निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी।
14. धापूदेवी पत्नी खेताराम
15. पंखीदेवी पत्नी सांवलाराम
    जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
16. पंखीदेवी पत्नी खेताराम जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
17. पंखीदेवी पत्नी बीजलाराम जाति भील निवासी भेडाणा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
18. सुकी देवी पत्नी प्रहलादराम
19. चकीदेवी पत्नी अजाराम
    जाति भील निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
20. मोहनराम पुत्र जोगाराम
    जाति भील निवासी गेंहु तहसील बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

21. श्रीमती लूणी देवी पत्नी अर्जुनराम जाति भील निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी
22. श्रीमान शाखा प्रबंधक एसबीआई ए डी बी गुड़ामालानी
23. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
24. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री नारायण कुमावत
अप्रार्थीः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू परिवार से संबंधित हैं। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1–10 एक ही परिवार से संबंधित हैं तथा पूर्व पुरूष खेता के वंशज व उतराधिकारी है। खेता के तीन पुत्र खाना पुत्र खेता, चेना पुत्र खेता व विशना पुत्र खेता थे। विशना पुत्र खेता के वारिसान वादी दरिया पुत्री विशना व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पांच पुत्रीया सुगरी पुत्री विशना, सईया पुत्री विशना, मोहन पुत्री विशना, जवी पुत्री विशना व पत्नी हरीया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मौजा भेडाणा, लक्ष्मीनगर, देवनगर, नीलानाडी, श्री गंगापुर में अवस्थित खातेदारी आराजी का खातेदार विशना पुत्र खेता, चेना पुत्र खेता व खाना पुत्र खेता थे। विशना पुत्र खेता की मृत्यु के पश्चात उक्त संपति की विरासत विशना पुत्र खेता के वारिसान वादी दरिया पुत्री विशना व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पांच पुत्रीया सुगरी पुत्री विशना, सईया पुत्री विशना, मोहन पुत्री विशना, जवी पुत्री विशना व पत्नी हरीया के नाम दर्ज होनी थी। परंतु विशना पुत्र खेता की विरासत सही दर्ज नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजी में वादी का हक हिस्सा निहित है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं। इस बाबत् हाजा अदालत में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 958, नामातरकरण संख्या 14, नामान्तरकरण संख्या 575 के गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो इससे प्रार्थीगण के हकों पर अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल व बेचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

4. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर अपने पिता की संपति पर विरासत में कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। विशना पुत्र खेता की मृत्यु के पश्चात उक्त संपति की विरासत विशना पुत्र खेता के वारिसान वादी दरिया पुत्री विशना व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पांच पुत्रीया सुगरी पुत्री विशना, सईया पुत्री विशना, मोहन पुत्री विशना, जवी पुत्री विशना व पत्नी हरीया के नाम दर्ज होनी थी। परंतु विशना पुत्र खेता की विरासत सही दर्ज नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजी में वादी का हक हिस्सा निहित है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं। इस बाबत् हाजा अदालत में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

5. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर अपने पिता की संपति पर विरासत में कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। विशना पुत्र खेता की मृत्यु के पश्चात उक्त संपति की विरासत विशना पुत्र खेता के वारिसान वादी दरिया पुत्री विशना व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पांच पुत्रीया सुगरी पुत्री विशना, सईया पुत्री विशना, मोहन पुत्री विशना, जवी पुत्री विशना व पत्नी हरीया के नाम दर्ज होनी थी। परंतु विशना पुत्र खेता की विरासत सही दर्ज नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजी में वादी का हक हिस्सा निहित है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं। इस बाबत् हाजा अदालत में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर अपने पिता की संपति पर विरासत में कानूनी अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। विशना पुत्र खेता की मृत्यु के पश्चात उक्त संपति की विरासत विशना पुत्र खेता के वारिसान वादी दरिया पुत्री विशना व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 पांच पुत्रीया सुगरी पुत्री विशना, सईया पुत्री विशना, मोहन पुत्री विशना, जवी पुत्री विशना व पत्नी हरीया के नाम दर्ज होनी थी। परंतु विशना पुत्र खेता की विरासत सही दर्ज नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त आराजी में वादी का हक हिस्सा निहित है। इसी हिस्से के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त हैं। इस बाबत् हाजा अदालत में घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 2025/90 के निर्णय तक ताफैसल प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 24.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:17 IST
Reason: SelfAttested